

FORM No. III APP-A

Crime-I  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत...उपखण्ड अधिकारी मुकाम...खीवसर.....


घेवरी बनाम झमकु वगैराह

किस्म मुकदमा...म्यूटेशन अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

नं.....19.....सन्.2020

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	09.04...2021	

अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता रेस्पॉन्डेन्ट के विरुद्ध म्यूटेशन अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश नामान्तरकरण संख्या 187,188 मौजा पंचायत कुडछी दिनांक 09.06.2009 के द्वारा तस्दीक कर स्वीकृत के संबंध में अपील प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉन्डेन्ट को जरिये नोटिस से तलब किया जाकर मिसल सुनवाई हेतु दिनांक 17.05.2021 को पेश हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
खीवसर

17/5/21 /पक्षकारान क आवकता उपस्थित

प्राप्त अधिकारी जी मीटिंग में भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है / अवकाश पर गये हुए है । पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 19/7/21 को प्रस्तुत हो ।

2.7.21

वकील अधीलांट के निवेदन पर उपखण्ड अधिकारी को पेश हुआ है। वकील अधीलांट ने उपखण्ड अधिकारी को निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी के मध्य राशीम का वे सुक हो इमलिए उपखण्ड अधिकारी को जमाने व्यवस्था की जाकर पानी निवेदन करीप करवाया गया है।  
अतः वकील अधीलांट के निवेदन पर अधीलांट की - 3000

  
Ade

पानी के विद्येय - (वारीय - नी - लारी) - पानी की  
पानीय - शुभद - वेधर - वाद - लालय - दारी - लय ?  
रुपर का

~~उपखण्ड अधिकारी  
खीदसग नागौर~~

